कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1628 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 16 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत सशत्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की 0.99 हे. वन भूमि हस्तांतरण हेतु, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून के निर्देशों की अनुपालन के सन्दर्भ में। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/148721/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/09/66/2022/एफ0सी0/1849 दिनांक 21–03–2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–969/12–1 दिनांक 30.01.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जाएंगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सोपी जाएंगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि 1.00 है0 से कम है। जिस हेतु उक्त शर्त प्रयोक्ता अभिकरण सशस्त्र सीमा बल के प्रस्ताव में लागू नहीं है।
03	प्रतिपूरक वनीकरण : क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 पौधों का रोपण कार्य किया जायेंगा एवं 10 वर्षा तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जाएंगी। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातीय को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 पौधों का रोपण कार्य किया जायेंगा एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.9 ha area (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करा दी गई है। जमा धनराशी का विवरण निम्न प्रकार है – प्रतिपूरक वनीकरण हेतु- Rs. 8,88,606/- CAMPA के खाता संख्या 150891991487211 26 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा करा दी गयी है) एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजातीय) वन विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है। (Annex-01)
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	बिदु 'ख' में पौधा रोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम तथा कोर्डिनेट अंकित मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। (Annex-02)
	ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के.एम. एल. फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि बिदु 'ग' में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
	एस.एम.सी.कार्य, प्रस्तावित केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू.एल.एम.सी. क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो ,तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएंगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से, प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के पास जमा करा दी गई है। जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है – पिलर्स सीमांकन और स्तंभन हेतु धनराशी- Rs. 56,000/- (चैक संख्या-326236) (Annex-03)
05	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय **सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ़.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 /2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009** में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.99 हे.वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि को हो, जो अंतिम रूप देने बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि – क. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 0.99 हे. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य उत्तरांचल CAMPA कोष में जमा करा दी गई है। जमा धनराशी का विवरण इस प्रकार है – शुद्ध वर्तमान मूल्य हेतु- Rs. 9,48,202/- CAMPA के खाता संख्या 15089199148721126 में NEFT/RTGS Challan के द्वारा जमा करा दी गयी है) (Annex-04) ख. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रमाण पत्र का प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या 74 पर संलग्न है।
06	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वनों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लगात जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार वन भूमि के प्रस्ताव के अनुसार 01 से ज्यादा वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
07	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल)https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा करा दी गई है।
08	एफ आर ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। (Annex-05)
09	नवीनतम वन (सरंक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
	कम 0.4 होना चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	एजेंसी के अनुसार उक्त विन्दु का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करे की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि State CAMPA से बजट प्राप्त होने पर स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण योजना के अनुसार कराया जायेगा।
12	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागु हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी.पिलर्स द्वरा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार आर0सी0सी0 पिलर्स प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के डिमांड नोट के अनुसार जमा कर दिया गया है। विद्यवित स्वीकृति होने के उपरांत Forward /Backward bearings अंकित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरंक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	शर्त	अनुपालन आख्या
10	के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय – समय पर निर्धारित शर्ते लागु होंगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति समय पर प्राप्त की जायेगी।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1628 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।